FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0104 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/04/2025 15:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/04/2025 **Date To (दिनांक तक):** 24/04/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:58 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/04/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/04/2025 15:22:14 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 35 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** SUTHARON KI BHAGAL, KASBA RICHHEDH, GADHBOR JILA RAJSAMAND
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ISHWAR SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): PRITHVI SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2001 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHDANAA KI BHAGAL THURAVADH, GADHBOR, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHDANAA KI BHAGAL THURAVADH, GADHBOR, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAHUL SUKHJA		पिता:PAVAN	1. GOLUWALA NIVADAN,PILIBANGA,GOLUWALA,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.2025 को समय 11.30 ए एम. पर परिवादी श्री ईश्वर सिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह जाति चदाणा राजपुत उम्र 24 साल निवासी चदाणा की भागल थुरावड तहसील गढबोर जिला राजसमंद ने उपस्थित चौकी होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि राजस्व ग्राम थुरावड में स्थित आराजी नम्बर 1072 रकबा 5-2 बिस्वा जो 285 वर्गगज भुमी अस्थाई तौर पर वर्ष 1981 में मेरे दादा जी श्री केशा पिता भुरा जी के नाम से सरकार द्वारा आंवटीत हुई थी। उक्त भुमि का उपयोग उपभोग तक से करीब विगत 45 सालों से मेरे दादा जी तत्पश्चात मेरे पिता जी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 22/04/2025 को थुरावड पटवारी श्री राहुल जी सुखीजा मेरे घर पर आए तथा मैने मेरे पिता जी के कब्जे शुदा उक्त भुमी के सम्बंध में पटवारी साहब से बात की तो पटवारी साहब ने हमारे कब्जे शुदा उक्त भुमी को धारा 91 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं धारा 91 का नोटिस जारी करने की एवज में मेरे से पटवारी साहब ने 10,000 रूपये अक्षरे दस हजार रूपयों की मांग की। जो में उक्त रिश्वत राशि श्री राहुल जी पटवारी साहब को नही देना चाहता हुं एवं रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरी व पटवारी साहब की पुरानी कोई लेन-देन बकाया नही है नही मेरी कोई राहुल जी पटवारी साहब से दुश्मनी है। रिपोर्ट करता हुं कानुनी कार्यवाही कराना फरमावें। जिस पर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण ने परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि श्री राहुल जी सुखीजा पटवारी रिछेड ने हमारे राजस्व ग्राम थुरावड में स्थित कब्जे शुदा भुमी को धारा 91 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं धारा 91 का नोटिस जारी करने की एवज में मेरे से पटवारी साहब ने 10,000 रूपये अक्षरे दस हजार रूपयों की मांग की। जो में उक्त रिश्वत राशि श्री राहुल जी पटवारी साहब को नही देना चाहता हुं एवं रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। परिवादी ने बताया कि मेरी व पटवारी साहब की पुरानी कोई लेन-देन बकाया नही है, नही मेरी कोई राहुल जी पटवारी साहब से दुश्मनी है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफ्त परिवादी से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से दिनांक 24.04.2025 को श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु चारभुजा (गढबोर) भिजवाया जाकर परिवादी श्री ईश्वर सिंह एवं संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा पटवारी के मध्य तहसील कार्यालय गढबोर में रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता करवाई गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री राहुल सुखीजा पटवारी द्वारा परिवादी से उसकी कब्जे शुदा बिलानाम जमीन की 91 की कार्यवाही करने की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग होना पाया गया। चूंकि आरोपी श्री राहुल पटवारी ने परिवादी को तुरन्त ही रूपये लेकर बुलाये जाने से दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के क्रम में समय 02.40 पी.एम. पर श्री गोविन्द नारायण हैड कानि नम्बर 117, श्रीमती सीता महिला हैड कानि0 नम्बर 233, श्री भुपेन्द्र कानि नम्बर 305, श्री यशवंत सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्री हेमराज कानि0 नं0 306 को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि के साथ, मय किशनाराम कानि0 नं0 404 के प्राईवेट वाहन से ग्राम मोराणा से थोडा पहले मेन रोड पर पहुंचने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण मय स्वतंत्र गवाहान श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़ व श्री कृपालसिंह चुण्डावत मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 न0 262 मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 मय चालक श्री मनोज कुमार नम्बर 23 के एसीबी कार्यालय राजसमन्द से रवाना हो समय 03.10 पीएम पर मोराणा गांव से पहले मेन रोड के किनारे साईड में पहुंचकर रूके जहां पर परिवादी व भंवरदान कानि0 निर्देशनुसार उपस्थित मिले। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर जिसमें लगे मेमेरी कार्ड में आज दिनांक 24.04.25 को रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़ व श्री कृपालसिंह चुण्डावत व परिवादी श्री ईश्वर सिंह का आपस में परिचय करवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री ईश्वर सिंह द्वारा दिनांक 23.04.25 को ब्यूरो कार्यालय पर प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जो मन् अतिरिक्त पुलिम अधीक्षक ने अपने पास ही सुरक्षित रखा था जिसे पढकर सुनाया व पढ़ाया गया तो परिवादी श्री

ईश्वर सिंह ने स्वयं द्वारा दिनांक 23.04.25 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर उक्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार करते हुये शब्द-ब-शब्द सही होना बताया। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक जानकारी व पूछताछ कर परिवादी श्री ईश्वर सिंह द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर आज दिनांक 24.04.2025 को परिवादी श्री ईश्वर सिंह एवं संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री राहुल जी पटवारी साहब ने मुझसे रिश्वत राशि10,000 रूपये की मांग की हैं लेकिन मैं 7,000 रूपयों की ही व्यवस्था कर पाया हुं जो अभी मेरे पास हैं। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवेन्द्र सिंह व श्री कृपाल सिंह के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री ईश्वर सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री ईश्वर सिंह ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 50-50 रूपये के 04 नोट, 100-100 रूपये के 07 नोट, 200-200 रूपये के 03 नोट तथा 500-500 रूपये के 11 नोट कुल राषि 7,000/-रूपये प्रस्तुत किये जिनके नोटों के नम्बर इस प्रकार है 1, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 0KN 199207 2, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 9LQ 963164 3, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 5MU 094993 4, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 1WV 175959 5, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 8SU 405104 6, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9GC 937245 7, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9AT 317263 8, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 1EF 146033 9, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9FS 584347 10, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 6BS 247360 11, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 6CF 738024 12, 200 रूपये का एक नोट नम्बर 4EA 876535 13, 200 रूपये का एक नोट नम्बर 5HW 637247 14, 200 रूपये का एक नोट नम्बर 8KL 002709 15, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7RD 583285 16, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7HN 672436 17, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3WB 572220 18, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7HP 320856 19, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DN 393154 20, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7AS 157828 21, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DN 393153 22, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4UC 537754 23, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9PE 095049 24, 500 रूपये का एक नोट 3KB 543951 25, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9BC 881684 उक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्री हेमराज कानि0 नं. 306 के पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी में से सरकारी वाहन स्विफ्ट कार नं. RJ14VC2589 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोट जो परिवादी श्री ईश्वर सिंह द्वारा पेश किये गये जिनके दोनो ओर श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 से उक्त फिनोफ्थेलीन पाउडर निकलवाकर लगवाया गया । परिवादी श्री ईश्वर सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगे सभी नोटो को परिवादी श्री ईश्वर सिंह के शरीर पर पहनी हुई पेण्ट की बायीं जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में सरकारी वाहन स्विफ्ट कार में रखे पानी के केम्पर से साफ पानी भरवा कर इसमें श्री हेमराज कानि0 नं. 306 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया और उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री ईश्वर सिंह को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री हेमराज कानि0 नम्बर 306 के हाथ के अंगुठो व अंगुलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराया तथा परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी को रिश्वत राशि देने के पश्चात अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर निर्धारित ईशारे करने हेतु निर्देशित किया तथा यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। परिवादी को अग्रिम रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हेमराज कानि0 नं. 306 को सिपूर्द की जाकर एसीबी कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना किया गया। फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सिपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जुदागाना तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 04.07 पी.एम. पर परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु तहसील कार्यालय गढबोर भिजवाया गया तो आरोपी श्री राहुल सुखीजा ने कहा कि अभी तहसीलदार साहब आये है मैं बाद में कॉल करता हूं। तत्पश्चात परिवादी को समय 04.47 पी.एम. पुन तहसील कार्यालय गढबोर भिजवाया गया तो आरोपी उपस्थित नहीं मिला। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि पटवारी राहुल सुखीजा के मोबाईल नं0 [redacted] से मेरे मोबाईल नं0 [redacted] पर समय करीबन 05.38 पीएम पर कॉल आया, पटवारी साहब ने मुझे सुथारो की भागल रिछेड में सरपंच साहब के ऑफिस में बुलाया है। जिस पर परिवादी को मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के आवश्यक हिदायत देकर सुथारो की भागल रिछेड में सरपंच साहब के ऑफिस की ओर रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के रवाना हो सुथारो की भागल रिछेड में सरपंच साहब के ऑफिस के पास पहुंच, वाहनों को एक तरफ खडा कर

अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकिम रहे। परिवादी श्री ईश्वर सिंह द्वारा मुकिम स्थल पर अपने मोबाईल फोन से किसी से वार्ता करने के पश्चात परिवादी एक व्यक्ति के पास आया जो बुलट पर बैठा हुआ था जिसने हल्का पीले रंग का चैक्स वाला शर्ट एवं काले रंग की जीन्स की पेन्ट पहनी हुई थी जिसके मूंह पर सफेद रंग का गमछा बांधा हुआ था जो अन्य व्यक्ति से वार्ता कर रहा था जिसके पास आकर परिवादी उक्त व्यक्ति से बात करता हैं तथा वार्ता के दौरान एक नाबालिग लडका भी उक्त बुलट पर बैठे हुए व्यक्ति के पास आता हैं तथा वार्ता करने के पश्चात परिवादी व उक्त नाबालिग बालक दोनों पास ही स्थित मकान के बगल में खाली प्लॉट की तरफ जाकर आपस में वार्ता करते हैं जो हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण को नजर आ रहा था। परिवादी द्वारा उक्त नाबालिग बालक से वार्ता करने के पश्चात समय करीब 05.58 पी.एम. पर परिवादी श्री ईश्वर सिंह द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान को नाबालिग बालक द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जो हम सभी ट्रेपपार्टी के सदस्यगण को नजर आ रहा था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवेन्द्र सिंह व श्री कृपालसिंह एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्रीमती सीता महिला हैड कानि0 नम्बर 233, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री किशनाराम कानि0 नम्बर 404, श्री भूपेन्द्र कानि0 नम्बर 305, श्री मनोज कुमार कानि0 नम्बर 23 व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी श्री ईश्वर सिंह के पास पहुंचे जहां पर परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं श्री राहुल जी पटवारी के कहे अनुसार कस्बा रिछेड में सुथारों की भागल स्थित सरपंच साहब के ऑफिस के पास पहुंचने के बाद मैने श्री राहुल जी पटवारी को कॉल किया तो उन्होने मुझे अपने पास बुलाया जिस पर मैं उनके पास गया। श्री राहुल जी पटवारी जो बुलट पर बैठे हुए थे और जिसने हल्का पीले रंग का चैक्स वाला शर्ट एवं काले रंग की जीन्स की पेन्ट पहनी हुई थी जिसके मूंह पर सफेद रंग का गमछा बांधा हुआ था जो अपने पास खडे अन्य व्यक्ति से वार्ता कर रहे थे। मैने श्री राहुल जी पटवारी साहब से रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में बात की तो पटवारी साहब ने आरसी के नाम से आवाज लगाकर एक नाबालिग बालक को बुलाया और रिश्वत राशि उक्त नाबालिग बालक को देने के लिए कहा जिस पर मैने साईड में आकर श्री राहुल जी पटवारी के कहे अनुसार रिश्वत राशि 7,000 रूपये नाबालिग बालक को दिये जिसने रिश्वत राशि अपने दोनों हाथों से ग्रहण कर गिनकर अपने पास रखे जो अभी भी उक्त नाबालिग बालक के दाहिने हाथ में पकडे हुए हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त नाबालिग बालक से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रमेश सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह उम्र 14 साल, जाति राजपूत, निवासी उखड बडली, रिछेड पुलिस थाना चारभूजा जिला राजसमन्द एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत होना बताया। तथा परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री राहुल जी पटवारी अभी-अभी बुलट लेकर केलवाडा की तरफ गये हैं। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त नाबालिग बालक का एक हाथ कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 व एक हाथ श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 को कलाई से उपर पकडवाकर ब्यूरो जाब्ता की निगरानी में यथास्थिति में खडा किया तथा परिवादी को मुकिम स्थल पर रूकने की आवश्यक हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता हैड कानि0 नम्बर 117 मय सरकारी वाहन स्विफट कार के मुकिम स्थल से रवाना हो कस्बा रिछेड में केलवाडा रोड पर तुलसी विहार जैन उपासरा के पास पहुंचे जहां पर उक्त व्यक्ति जो हल्का पीले रंग का चैक्स वाला शर्ट एवं काले रंग की जीन्स की पेन्ट पहनी हुई थी जो बुलट के पास खडा होकर एक अन्य व्यक्ति से वार्ता कर रहा था। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सरकारी वाहन स्विफट कार को बुलट के बराबर खडा किये जाने पर उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर सन्देह की स्थिति होने पर बुलट को मौके पर ही छोड कर रिछेड से नाथेला गांव की तरफ जाने वाले रोड पर पैदल पैदल तेजी से भाग गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 व दोनों स्वतंत्र गवाहान उक्त संदिग्ध व्यक्ति के पीछे-पीछे नाथेला मार्ग की तरफ तेजी से भागे। थोडा आगे जाने पर लगभग 200 मीटर दूर सडक से बाईं तरफ लगभग 7-8 फीट गहरा सूखा नाले में उक्त संदिग्ध व्यक्ति छलांग लगाकर भागा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उक्त संदिग्ध व्यक्ति के पीछे-पीछे नाले में कूदकर संदिग्ध व्यक्ति को दस्तयाब किया। जिस पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति द्वारा हमराहियान के साथ हाथा-पाई की गई। इस दरमियान नाले में कूदने तथा दस्तयाबी के उक्त संघर्ष में उक्त व्यक्ति के शरीर पर रगड तथा हल्की चोटे आई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्ति को स्वयं तथा ब्यूरो जाब्ता एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री राहुल सुखीजा पुत्र श्री पवन सुखीजा जाति अरोडा उम्र 26 साल निवासी गोलुवाला निवादान तहसील पिलीबंगा पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ हाल हल्का पटवारी रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड तहसील गढबोर जिला राजसमंद होना बताया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री ईश्वर सिंह से रिश्वत राशि10,000 रूपये की मांग करने एवं रिश्वत राशि 7,000 रूपये नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दिलाये जाने के सम्बन्ध में पूछा तो श्री राहुल सुखीजा द्वारा मना करते हुए कहा कि मैने किसी से रिश्वत राशि की मांग नहीं की हैं और ना ही किसी को दिलवाये हैं। संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा द्वारा जोर-जोर से चिल्लाते हुए मौके पर मौजुद लोगों को भडकाने लगा। इस पर मन्

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राहुल सुखीजा को शांत रहने हेतु समझाईश की गई। इस पर उक्त व्यक्ति शांत हुआ। मौके पर राहगीर तथा ग्रामीणों की भीड इकटटी होने से सुरक्षा की दृष्टि से उक्त संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा को हमराह साथ ले मय सरकारी वाहन मय हमराहियान के रवाना हो समय 06.05 पी.एम. पर कस्बा रीछेड में सुथारों की भागल में पूर्व के मुकिम स्थल पर पहुंचा। आम रास्ते पर लोगों की भारी भीड होने से सुरक्षा की दृष्टि से पास ही स्थित सरपंच की ऑफिस में श्री राहुल सुखीजा को बैठाया गया। जहां पर श्री राहुल सुखीजा द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष धमकी दी गई और स्वयं के शर्ट के बटन खोलकर धमकाकर कहा कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, मैने किसी से कोई पैसे नहीं लिये हैं और मैं आपके साथ कहीं पर भी नहीं चलूंगा। यदि आप जबरदस्ती मुझे ले जाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरे द्वारा किसी से रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई हैं। संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा द्वारा मौके पर जोर-जोर से चिल्लाने एवं हो हल्ला करने एवं आस-पास काफी लोगों की भीड इकट्ठा होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा हमराहियान ब्यूरो जाब्ता को पुलिस थाना चारभूजा से पुलिस इमदाद हेतु पुलिस जाब्ता बुलाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा को उक्त नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह जिसे रिश्वत राशि दिलवाई गई थी उसके पास चलने हेतु कहा गया तो संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि आप कुछ भी कर लो मैं उसके पास नहीं चलुंगा, मैने उसको रिश्वत राशि नहीं दिलवाई। इसके पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता में से श्रीमती सीता महिला हैड कानि, श्री किशनाराम कानि0, श्री मनोज कानि. व श्री भूपेन्द्र कानि. को सरपंच के ऑफिस में ही संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा की निगरानी में खडा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. व श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक के रवाना हो पास ही स्थित उस स्थान पर पहुंचे जहां पर संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दिलवाई गई थी। जहां पर परिवादी श्री ईश्वर सिंह एवं ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार व श्री भंवरदान, नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के पास यथास्थिति में उपस्थित मिले। तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के पिता श्री नाहर सिंह को मौके पर बुलवाया जाकर उपस्थित परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता एवं नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के पिता श्री नाहर सिंह के समक्ष यथास्थिति अनुसार नाबालिक बालक श्री रमेश सिंह जिसके दाहिने हाथ में रिश्वत राशि पकडी हुई थी। उक्त रिश्वत राशि के सम्बन्ध में नाबालिक बालक श्री रमेश सिंह से पूछा गया तो नाबालिक बालक श्री रमेश सिंह घबरा गया जिसे तसल्ली देकर पूछा गया तो उसने घबराते हुए बताया कि मैने रूपये श्री राहुल जी पटवारी के कहने पर लिये हैं, मैं श्री राहुल पटवारी को पहले से ही जानता हुं, जो मेरी दुकान पर आते-जाते हैं इसलिए मैं इनको जानता हुं। तत्पश्चात नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह का दाहिना हाथ जिसमें रिश्वत राशि पकडी हुई हैं, उक्त दाहिने हाथ से रिश्वत राशि उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह से बरामद कराई गई तो नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के दाहिने हाथ से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500, 200-200, 100-100 एवं 50-50 रूपये के कुछ नोट मिले जिसे स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह से गिनवाये गये तो 500-500 के 11 नोट राशि 5,500 रूपये, 200-200 रूपये 03 नोट राशि 600 रूपये, 100-100 रूपये 07 नोट राशि 700 रूपये एवं 50-50 रूपये 04 नोट राशि 200 रूपये इस प्रकार कुल राशि 7,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान होना पाये गये। उक्त नोटों के नम्बर इस प्रकार हैं 1, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 0KN 199207 2, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 9LQ 963164 3, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 5MU 094993 4, 50 रूपये का एक नोट नम्बर 1WV 175959 5, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 8SU 405104 6, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9GC 937245 7, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9AT 317263 8, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 1EF 146033 9, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9FS 584347 10, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 6BS 247360 11, 100 रूपये का एक नोट नम्बर 6CF 738024 12, 200 रूपये का एक नोट नम्बर 4EA 876535 13, 200 रूपये का एक नोट नम्बर 5HW 637247 14, 200 रूपये का एक नोट नम्बर 8KL 002709 15, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7RD 583285 16, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7HN 672436 17, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3WB 572220 18, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7HP 320856 19, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DN 393154 20, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7AS 157828 21, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DN 393153 22, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4UC 537754 23, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9PE 095049 24, 500 रूपये का एक नोट 3KB 543951 25, 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9BC 881684 उपरोक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत कर सम्भलाई गई। इसके पश्चात पूर्व निर्देशानुसार पुलिस थाना चारभूजा से कानि0 श्री जेठाराम नम्बर 520 एंव कानि. श्री महेन्द्र नम्बर 212 पुलिस इमदाद हेतु मौके पर उपस्थित आये। तत्पश्चात मौके पर लोगों की भारी भीड एकत्रित होने व भीड द्वारा आक्रोशित होने से मौके पर अग्रिम कार्यवाही किया सम्भव नहीं होने से तथा सुरक्षा की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक व कानि0 श्री भंवरदान को निजी मोटर साईकिल से, परिवादी श्री ईश्वर सिंह को उसकी निजी मोटर साईकिल से तथा पुलिस इमदाद हेतु पुलिस थाना चारभूजा से उपस्थित जाब्ता कानि0 श्री जेठाराम नम्बर 520 एंव कानि.

श्री महेन्द्र नम्बर 212 को उनकी मोटरसाईकिल से पुलिस चौकी रिछेड पर पहुंचने की आवश्यक हिदायत देकर आगे-आगे रवाना कर श्रीमती सीता महिला हैड कानि, श्री मनोज कुमार कानि, दोनों स्वतंत्र गवाहान, नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह एवं उसके पिता श्री नाहर सिंह को मय प्राईवेट वाहन से तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण, कानि. जितेन्द्र कुमार, कानि. किशनाराम, कानि. श्री भूपेन्द्र मय संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा मय सरकारी वाहन स्विफ्ट कार मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के मुकिम स्थल से अपने-अपने वाहनो, मोटरसाईकिल से रवाना हो पुलिस चौकी रिछेड पहुंचे जहां पर पुन संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा जोर-जोर से चिल्लाते हुए अपनी पहनी हुई शर्ट को फाडते हुए कहने लगा की आप मुझे जबरदस्ती फसा रहे हो मैने श्री ईश्वर सिंह से रिश्वत राशि की मांग नहीं की हैं और मैने किसी को रिश्वत राशि नहीं दिलवाई हैं, आप जबरदस्ती फसाओगे तो आत्महत्या कर लूंगा, इस पर संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा को पुन तसल्ली देकर शांत रहने हेतु समझाईश की गई। इस पर उपस्थित परिवादी श्री ईश्वर सिंह ने स्वत ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री राहुल जी पटवारी झूठ बोल रहे कि इन्होंने रिश्वत राशि की मांग नहीं की हैं जबकि दिनांक 24.04.2025 को जब मैं तहसील कार्यालय गढबोर पुलिस थाना चारभूजा में श्री राहुल जी पटवारी से मिला तो इन्होंने मेरी कब्जे शुदा जमीन को धारा 91 राजस्थान भू अधिनियम के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं धारा 91 का नोटिस जारी करने की एवज में इन्होंने मुझसे रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग की थी। इसके पश्चात मेरे द्वारा रिश्वत राशि 7,000 रूपये की व्यवस्था कर पुन श्री राहुल जी पटवारी को देने के लिए तहसील कार्यालय में उनके पास जाकर उनसे रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में बात की तो इन्होंने तहसीलदार साहब के कार्यालय में उपस्थित होने से रिश्वत राशि बाद में देने हेतु मोबाईल फोन पर सूचित करने हेतु कहा। इसके पश्चात इन्होंने मुझे मोबाईल पर फोन कर कस्बा रिछेड में सुथारों की भागल स्थित सरपंच साहब के ऑफिस पर बुलाया जिस पर श्री राहुल जी पटवारी साहब के बताये अनुसार उक्त स्थान पर इनसे मिला तो इन्होंने रिश्वत राशि स्वयं ग्रहण नहीं कर नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को देने की कहा। जिस पर मैंने इनके कहे अनुसार रिश्वत राशि 7,000 रूपये नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दे दिये। इस पर उपस्थित नाबालिग श्री रमेश सिंह से परिवादी श्री ईश्वर सिंह की ओर ईशारा कर इनसे रिश्वत राशि 7,000 रूपये ग्रहण करने के सम्बन्ध में पूछा तो नाबालिग वालक श्री रमेश सिंह ने अपने पिता श्री नाहर सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे सुथारों की भागल में श्री भैरूनाथ किराणा स्टोर के नाम से एक किराणे की दुकान हैं, मैं राहुल जी पटवारी साहब को पहले से ही जानता हुं, श्री राहुल जी पटवारी साहब मेरी किराणे की दुकान पर आते-जाते हैं और परचुनी का सामान भी खरीदते हैं, कभी-कभी परचूनी का सामान उधार भी खरीदते हैं जिससे इनके कुछ रूपये बकाया भी हैं, जो मैंने इनसे मांगे तो इन्होंने कहां कि तु चिन्ता मत कर मैं तेरे बकाया रूपये किसी से दिलवा दुंगा, और ज्यादा रूपये तेरे पास आ जाये तो बाद में मुझे ट्रान्सफर कर देना, आज जब मैं कचरा डालने जा रहा था तो श्री राहुल जी पटवारी साहब जो कि बुलट पर बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे बुलाया और इनसे (परिवादी श्री ईश्वर सिंह की ओर इशारे करते हुए) कुछ रूपये लेने के लिए कहा था जिस पर मैने श्री राहुल जी पटवारी साहब के कहे अनुसार इनसे (परिवादी श्री ईश्वर सिंह की ओर इशारे करते हुए) रूपये ले लिये, मुझे नहीं पता था कि यह रिश्वत के रूपये हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं यह रूपये लेता ही नहीं। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं संदिग्ध श्री राहुल सुखीजा के समक्ष चालू कर दिनांक 24.04.2025 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी श्री राहुल सुखीजा द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व परिवादी श्री ईश्वर सिंह से वार्ता होना स्वीकार किया। इसके उपरांत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 24.04.2025 को परिवादी व आरोपी श्री राहुल सुखीजा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर आरोपी श्री राहुल सुखीजा को सुनाई गई तो आरोपी द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व श्री ईश्वर सिंह से वार्ता होना स्वीकार किया तथा आरोपी श्री राहुल सुखीजा को उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान परिवादी श्री ईश्वर सिंह की कब्जे शुदा जमीन को धारा 91 राजस्थान भू अधिनियम के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं धारा 91 का नोटिस जारी करने की एवज में रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग करने एवं मांग के अनुशरण में दिनांक 24.04.2025 को रिश्वत राशि 7,000 रूपये स्वयं ग्रहण नहीं कर नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दिलवाने के सम्बन्ध में आरोपी श्री राहुल सुखीजा से पूछा गया तो आरोपी ने अपना सिर झुका कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कहा कि साहब मुझे माफ कर दो, मैं बदनाम हो जाउंगा और मेरी जिन्दगी बर्बाद हो जायेगी, मैं यह बदनामी सहन नहीं कर पाउंगा, मुझसे गलती हो गई ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा, मेरी मदद करना। आरोपी श्री राहुल सुखीजा को उक्त रिश्वत राशि में नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह का हिस्सा होने के सम्बन्ध में आरोपी से पूछा गया तो आरोपी ने मना करते हुए कहा कि श्री रमेश सिंह को उक्त रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं, मैंने इसको लेने के लिए कहा था इसलिए श्री रमेश सिंह ने रूपये ले लिये थे। श्री रमेश सिंह नाबालिग बच्चा हैं इसको रिश्वत राशि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं और ना ही इस रिश्वत राशि में इसका कोई हिस्सा हैं। चूंकी आरोपी श्री राहुल सुखीजा द्वारा रिश्वत राशि 7,000 रूपये स्वयं ग्रहण नहीं करके नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दिलवाये हैं इस हेतु नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के दोनों हाथों का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से

श्री भूपेन्द्र कानि. नम्बर 305 से सरकारी वाहन स्विफ्ट कार में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH -1 व RH -2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH -1 व LH -2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के 11 नोट राशि 5,500 रूपये, 200-200 रूपये 03 नोट राशि 600 रूपये, 100-100 रूपये 07 नोट राशि 700 रूपये एवं 50-50 रूपये 04 नोट राशि 200 रूपये इस प्रकार कुल रिश्वत राशि 7,000 रूपये जो कि स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के दाहिने हाथ से बरामद हुई थी जो स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह के पास सुरक्षित रखवाये गये थे जो स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा पेश किये जाने पर उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल सुखीजा को परिवादी श्री ईश्वर सिंह की राजस्व ग्राम थुरावड में स्थित आराजी नम्बर 1072 जो कि परिवादी के दादा श्री केशा पिता भूरा के नाम पर वर्ष 1981 में आवंटित हुई थी जिसके आवंटन से सम्बन्धित एवं उक्त आराजी की जमाबन्दी की नकल की प्रमाणित प्रतियां पेश करने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री राहुल पटवारी ने बताया कि तहसील कार्यालय गढबोर अभी बंद हो गया जो कल सुबह ऑफिस समय पर तहसील कार्यालय खुलने पर ही मिलेगी। परिवादी श्री ईश्वर सिंह से सम्बन्धित उपरोक्त प्रमाणित दस्तावेजात तहसील कार्यालय गढबोर से पृथक से प्राप्त किये जायेंगे। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। सम्पूर्ण मामले में आरोपी श्री राहुल सुखीजा द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से रिश्वत राशि 7,000 रूपये स्वयं ग्रहण नहीं कर नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दिलवाये गये हैं जो राशि रिश्वत की हैं इस बाबत् नाबालिग बालक नासमझ होकर अनभिज्ञ था। नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह की पूर्व में आरोपी श्री राहुल सुखीजा से जान-पहचान होने से एवं आरोपी के कहे अनुसार नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह द्वारा उक्त राशि प्राप्त करना पाया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राहुल सुखीजा के गोकुलधाम सोसायटी कस्बा केलवाडा जिला राजसमन्द में स्थित किराये के कमरे पर पहुंचकर उक्त किराये के कमरे की खाना तलाशी नियमानुसार ली जाकर फर्द मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में पुलिस थाना चारभूजा पहुंचकर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेनदेन संबंधी एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की गई। आरोपी श्री राहुल सुखीजा हाल पटवारी पटवार हल्का रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड तहसील गढबोर जिला राजसमंद के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री राहुल सुखीजा पटवारी को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री राहुल सुखीजा पटवारी के किराये के कमरे की खाना तलाशी के वीडियो को एक पेनड्राईव geonix 16gb (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी करवा उक्त पेनड्राईव की हेश वैल्यू निकलवाई जाकर उक्त पेनड्राईव को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट करा मार्क PD अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात रिश्वत राशि बरामदगी के वीडियों को एक पेनड्राईव geonix 16gb (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी करवा उक्त पेनड्राईव की हेश वैल्यू निकलवाई जाकर उक्त पेनड्राईव को एक सफेद कपडे की थेली में रखकर सिलचिट करा मार्क PD -1 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात आरोपी श्री राहुल सुखीजा के किराये के कमरे की खाना तलाशी एवं रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही का वीडियों जो श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 के मोबाईल फोन के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी में रिकॉर्ड किया गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत जब्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क- M अंकित किया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 24.04.2025 को परिवादी श्री ईश्वर सिंह एवं आरोपी श्री राहुल सुखीजा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता, रिश्वत राशि लेनदेन संबंधी वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्तालाप को तीन खाली (रिक्त) पेनड्राईव geonix 16GB (बरंग सिल्वर) में सेव/कॉपी करवाये जाकर एक पेन ड्राईव पर मूल एवं एक पेन ड्राईव पर डब तथा एक पेन ड्राईव

आई.ओ. के लिए तैयार किया गया तथा मूल पेन ड्राईव की हेश वेल्यु निकलवाई जाकर मूल पेन ड्राईव को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क- PD-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये जिसकी फर्द जब्ती मूल पेनड्राईव पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 24.04.2025 को परिवादी श्री ईश्वर सिंह एवं आरोपी श्री राहुल सुखीजा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन संबंधी वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्तालाप का मूल मेमोरी कार्ड geonix 32 GB Micro SD XC बरंग नीला/आसमानी को वजह मबूत जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में नियमानुसार सील्डचिट किया जाकर मार्क- M-1 अंकित किया गया जिसकी फर्द जब्ती मूल मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त सील को नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण सील पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मौके पर मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण मामले में आरोपी श्री राहुल सुखीजा द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से रिश्वत राशि 7,000 रूपये स्वयं ग्रहण नहीं कर नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दिलवाये गये हैं जो राशि रिश्वत की हैं इस बाबत् नाबालिग बालक नासमझ होकर अनभिज्ञ था। नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह की पूर्व में आरोपी श्री राहुल सुखीजा से जान-पहचान होने से एवं आरोपी के कहे अनुसार नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह द्वारा उक्त राशि प्राप्त करना पाया गया हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियां से पाया गया कि आरोपी श्री राहुल सुखीजा हाल हल्का पटवारी रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड तहसील गढबोर जिला राजसमंद द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर दिनांक 24.04.2025 को परिवादी श्री ईश्वर सिंह के राजस्व ग्राम थुरावड में स्थित कब्जे शुदा जमीन को धारा 91 राजस्थान भू अधिनियम के तहत रिकॉर्ड में लेने एवं धारा 91 का नोटिस जारी करने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग करना तथा रिश्वत राशि मांग के अनुशरण में दिनांक 24.04.2025 को कस्बा रिछेड में परिवादी श्री ईश्वर सिंह से रिश्वत राशि 7,000 रूपये स्वयं ग्रहण नहीं कर नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह को दिलवाना जो दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त रिश्वत राशि 7,000 रूपये स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के दाहिने हाथ से बरामद होना तथा नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह द्वारा परिवादी श्री ईश्वर सिंह से रिश्वत राशि 7,000 ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत नाबालिग बालक श्री रमेश सिंह के दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं बाये हाथ के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया जाने पर आरोपी श्री राहुल सुखीजा पुत्र श्री पवन सुखीजा जाति अरोडा उम्र 26 साल निवासी गोलुवाला निवादान तहसील पिलीबंगा पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ हाल हल्का पटवारी रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड तहसील गढबोर जिला राजसमंद के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने मे आरोपी श्री राहुल सुखीजा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राहुल सुखीजा पुत्र श्री पवन सुखीजा जाति अरोडा उम्र 26 साल निवासी गोलुवाला निवादान तहसील पिलीबंगा पुलिस थाना गोलुवाला जिला हनुमानगढ हाल हल्का पटवारी रिछेड अतिरिक्त चार्ज थुरावड तहसील गढबोर जिला राजसमंद के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,उदयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 408 पर अंकित है। (राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 592-95 दिनांक 27-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-जिला कलक्टर राजसमन्द ।4 - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द। उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/04/2025 15:[illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	25/04/1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)